

31/07/23

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित।  
वकील वादी को पूर्व में दिनांक 03/11/22 से  
तलवी हेतु समय दिया जा रहा है। वावजूद  
इनकी ओर से तलवी पेश नहीं की जा रही है,  
ना ही उपस्थित हो रहे। वकील वादी  
उवं वादीगण को बार-बार सूझ-झूट कर  
न्यायालय समय में न्यायालय समय  
समाप्त कर अवार्जें लगावाई गई, वावजूद  
वकील वादी/वादीगण की ओर से कोई  
उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील वकील  
वादी का प्रस्ताव अदम हाजरी अदम वैरवी  
में खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज  
नम्बर से कम होकर कुल शुमार होकर  
दाखिल दर्ज हो।

निर्णय आज दिनांक 31/7/23 को  
खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Mansur*  
सहायक क्लर्क  
जयपुर शहर प्रथम